

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

आदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या - 62 (17) दिनांक - 22.01.2019 में निहित शर्तों के अधीन निम्नलिखित प्राध्यापक ने अपना योगदान संविदा/मानदेय के आधार पर प्राध्यापक के रिक्त पद पर अधिकतम दो वर्षों के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने अथवा इनकी 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए दिए हैं, जिसे उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि एवं संबंधित विभाग में योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए संबंधित विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने का आदेश दिया जाता है तथा संबंधित प्राध्यापक अपना प्रभार प्रतिवेदन आठ प्रति में विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	विभाग	योगदान की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि
1	डॉ० विमल कुमार राय	प्राध्यापक	ई०एन०टी०	24.01.19, पूर्वा०	30.11.2020

ह०/-
प्राचार्य

ज्ञापांक:- 206/19

दिनांक:- 24/01/19

प्रतिलिपि:-

- 1) श्री कौशल किशोर, सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्र संख्या -- 62 (17) दिनांक - 22.09.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 2) विभागाध्यक्ष, ई०एन०टी० विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 3) अधीक्षक, एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 4) Estate Officer / बरसर/पुस्तकालय सचिव, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 5) कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 6) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 7) संबंधित चिकित्सक/शिक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- 8) आई०टी० सेक्शन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

24/1/19